

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 81

भू-संसाधन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	1050.00	3.66	1053.66	950.00	3.43	953.43	1261.00	3.48	1264.48	
	
	1050.00	3.66	1053.66	950.00	3.43	953.43	1261.00	3.48	1264.48	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	3451	...	3.66	3.66	...	3.43	3.43	...	3.48	3.48
बंजर भूमि विकास										
2. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड	2501	1.00	...	1.00	0.51	...	0.51	2.00	...	2.00
	3601	5.00	...	5.00	0.49	...	0.49	1.00	...	1.00
	जोड़	6.00	...	6.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
3. एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाएं स्कीम	2501	313.00	...	313.00	297.00	...	297.00	332.00	...	332.00
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	314.00	...	314.00	297.00	...	297.00	333.00	...	333.00
4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	2501	295.00	...	295.00	295.00	...	295.00	300.00	...	300.00
5. मरुभूमि क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम	2501	215.00	...	215.00	195.00	...	195.00	215.00	...	215.00
6. सूखा सुरक्षा हेतु विशेष कार्यक्रम	2501	50.00	...	50.00
7. प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना (पीएमजीजेएसवाई)	2501	200.00	...	200.00
8. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण	2501	12.00	...	12.00	10.64	...	10.64	11.00	...	11.00
	3601	3.00	...	3.00	1.36	...	1.36	2.00	...	2.00
	जोड़	15.00	...	15.00	12.00	...	12.00	13.00	...	13.00
9. जैव-ईंधन भूमि सुधार	2501	9.00	...	9.00
10. भूमि सुधार	2506	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	52.50	...	52.50	52.50	...	52.50	59.50	...	59.50
	3602	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
	जोड़	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	62.00	...	62.00
11. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	100.00	...	100.00	95.00	...	95.00	126.00	...	126.00
कुल जोड़		1050.00	3.66	1053.66	950.00	3.43	953.43	1261.00	3.48	1264.48
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना:										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	895.00	...	895.00	800.00	...	800.00	1073.00	...	1073.00
2. भूमि सुधार	12506	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	62.00	...	62.00
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	100.00	...	100.00	95.00	...	95.00	126.00	...	126.00
जोड़		1050.00	...	1050.00	950.00	...	950.00	1261.00	...	1261.00

1. इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय-व्यय के लिए प्रावधान है।
2. यह प्रावधान राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के लिए किया गया है।
3. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एक चल रही योजना है, जिसके अन्तर्गत बड़ी परियोजनाओं को लघु जल संभर के आधार पर शुरू किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं सामान्यतया गैर डीपीएपी/गैर डीडीपी ब्लाकों में मंजूर की जाती हैं।
4. सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एक क्षेत्रक विकास कार्यक्रम है जिसे भूमि, जल और मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग की नीति के आधार पर दीर्घकालिक

परिप्रेक्ष्य में सूखे की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है जिसे बराबर की राशियों के आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। तथापि, पहली अप्रैल, 1999 से केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर निधियां आवंटित की जा रही हैं। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 182 जिलों में 972 ब्लाकों में चलाया जा रहा है।

5. मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मरुभूमिकरण को नियंत्रित करना और दीर्घावधि में पारिस्थितिकी संतुलन की बहाली के लिए भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, उनका विकास करना और उपयोग में

लाना तथा सिंचाई, वनरोपण, शुष्क भूमि में खेती करने आदि के माध्यम से उत्पादन, आय और रोजगार के स्तरों में भी वृद्धि करना है। वर्ष 1995-96 से मरुभूमि क्षेत्रों की पहचान तीन श्रेणियों के अन्तर्गत, यथा गर्म रेतीले शुष्क क्षेत्र, गर्म शुष्क क्षेत्र और ठंडे शुष्क क्षेत्र के रूप में की गयी है। आवंटन का विभाजन केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर किया जाता है। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों में 235 ब्लाकों में चलाया जा रहा है।

7. पीएमजीजेएसवाई प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित किए गए केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर तैयार की गई एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। पीएमजीजेएसवाई का मुख्य बल मुख्यतया अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में "जल-पुनर्भरण" के जरिए जल संरक्षण पर होगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में 7 राज्यों में सभी 235 डीडीपी ब्लाकों और डीडीपी ब्लाकों के निकट लगभग 325 डीपीएपी ब्लाकों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

8. इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण स्कीम के लिए प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत जो परियोजनाएं सरकारी भूमि तथा समुदाय की भूमि पर चल रही हैं उन्हें 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। निजी भूमि पर चल रही परियोजनाओं के खर्चों को केन्द्र सरकार और किसानों/निगम निकायों के बीच 60:40 में विभाजित किया जाता है।

9. योजना आयोग ने जैव-ईंधन के विकास से संबंधित समिति की सिफारिशों के अनुसार, जैव-ईंधन पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को केन्द्रक मंत्रालय बनाया गया है जबकि कृषि मंत्रालय में राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड को जटरोफा की कृषि के लिए केन्द्रक अभिकरण बनाया गया है। इसलिए वर्ष 2004-05 के लिए 10.00 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

10. भूमि सुधार के अन्तर्गत राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि के रिकार्डों को अद्यतन करने की स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को 50:50 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। भूमि के रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वयनाधीन है। यह एक 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान प्राप्त स्कीम है। देश में अब तक 582 जिलों को कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है और यह स्कीम देश की 3114 तहसीलों/तालुकों/मंडलों में प्रचालित की जा चुकी है।

11. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान किया गया है।